



सत्यमेव जयते

**जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार
(विधान मंडल सहित)**

**की
अनुदानों के लिए पूरक मांगें**

2023-2024

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

OF

GOVERNMENT OF UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR

(WITH LEGISLATURE)

2023-2024

[राजपत्र अधिसूचना का. आ. 3937 (अ) दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 के साथ पठित जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 44 के अनुसार संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। मांगों के संबंध में जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 13, 42 और 74 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239क के तहत राष्ट्रपति की अपेक्षित अनुशंसा प्राप्त कर ली गई है।]

[Laid before Parliament in pursuance of Section 44 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 read with Gazette Notification S.O. 3937 (E) dated 31st of October, 2019. The recommendation of the President, required under Article 239 and 239A of the Constitution of India read with Section 13, 42 and 74 of the Jammu & Kashmir Reorganisation Act, 2019 for making the Demands has been obtained.]

परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगें 2023-2024

1. वर्ष 2023-2024 के लिए पूरक अनुदान की मांगों में 4 अनुदान और 1 विनियोग शामिल है। ₹871289.72 लाख के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है। इसमें से, निवल नकद व्यय से जुड़े प्रस्तावों में कुल मिलाकर ₹870939.72 लाख शामिल है और विभागों की कुल बचतों से मेल खाने वाला सकल अतिरिक्त व्यय ₹350.00 लाख है।

2. निवल नकद खर्च व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें इस प्रकार हैं:-

INTRODUCTORY NOTE

Subject : Supplementary Demands for Grants 2023-2024.

1. The Supplementary Demands for Grants for 2023-2024 includes 4 Grants and 1 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorize gross additional expenditure of ₹871289.72 Lakh. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹870939.72 Lakh and gross additional expenditure matched by savings of Departments aggregates to ₹350.00 Lakh.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:-

		(लाख रुपए Rupees in Lakh)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & and title and description of items	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
06 बिजली विकास विभाग	Power Development Department			
(क) जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन की योजना के तहत बिजली की खरीद (₹277522.97 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Purchase Of Power (277522.97 Lakh) under the scheme of Jammu & Kashmir Power Corporation.	277522.97	...	277522.97
08 वित्त विभाग	Finance Department			
(क) राज्य स्टाम्प विभाग की योजना के तहत रिफंड (₹5.00 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Refund (₹5.00 Lakh) under the scheme of State Stamp Department.	5.00	...	5.00
(ख) आयुक्त कार्यालय की योजना के तहत वेतन (₹90.00 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Salary (₹90.00 Lakh) under the scheme of Commissioners Office.	90.00	...	90.00
(ग) बिक्री कर न्यायाधिकरण की योजना के तहत वेतन (₹32.45 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Salary (₹32.45 Lakh) under the scheme of Sales Tax Tribunal.	32.45	...	32.45
(घ) आयुक्त कार्यालय की योजना के तहत मानदेय और पारिश्रमिक (₹0.10 लाख), वेतन (आउटसोर्सिंग) (₹36.86 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards Honorarium and Remuneration (₹0.10 Lakh), Wages (Outsourcing) (₹36.86 Lakh) under the scheme of Commissioner's Office.	36.96	...	36.96

(लाख रुपए Rupees in Lakh)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & and title and description of items	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
(ड) मुआवजे (₹0.25 लाख), बिजली शुल्क (₹8.50 लाख), मानदेय और पारिश्रमिक (₹0.40 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति (₹6.00 लाख), कार्यालय उपकरण और उपकरण, (₹3.00 लाख), पोल ₹2.70 लाख), पेशेवर और विशेष सेवा शुल्क (₹4.30 लाख), वाहन की खरीद (₹2.50 लाख), किराया दरें और कर (₹11.95 लाख), वेतन (₹80.47 लाख), टेलीफोन (₹0.25 लाख), प्रशिक्षण (₹1.50 लाख), यात्रा व्यय (₹0.25 लाख) और वेतन (आउटसोर्सिंग) (₹3.90 लाख) कोषागार और लेखा प्रशासन की विभिन्न योजनाओं के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting expenditure towards Compensation (₹0.25 Lakh), Electricity Charges (₹8.50 Lakh), Honorarium and Remuneration (₹0.40 Lakh), Medical Reimbursement (₹6.00 Lakh), Office Equipments And Appliances, (₹3.00 Lakh), Pol (₹2.70 Lakh), Professional And Special Service Charges (₹4.30 Lakh), Purchase Of Vehicle (₹2.50 Lakh), Rent Rates And Taxes (₹11.95 Lakh), Salary (₹80.47 Lakh), Telephone (₹0.25 Lakh), Training (₹1.50 Lakh), Travel Expenses (₹0.25 Lakh) and Wages (Outsourcing) (₹3.90 Lakh) under different schemes of Treasury And Accounts Administration.	125.97	...	125.97
(च) सचिव वित्त की योजना के तहत पेंशनरी लाभ (₹58228.73 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(f) For meeting expenditure towards Pensionary Benefits (₹58228.73 Lakh) under the scheme of SECRETARY FINANCE.	58228.73	...	58228.73
(छ) सरकार की आंतरिक ऋण की विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार के आंतरिक ऋण (₹534492.30 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(g) For meeting expenditure towards Internal Debt of the Govt (₹534492.30 Lakh) under different schemes of Internal Debt Of The Government.	...	534492.30	534492.30
36 सहकारिता विभाग	Cooperative Department			
(क) कृषि ऋण समितियों को सहायता योजना के तहत अनुदान सहायता (₹405.34 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Grant-In-Aid (₹405.34 Lakh) under the scheme of Assistance to Agriculture Credit societies.	405.34	...	405.34
कुल नकद निर्गम	Total Cash Outgo	336447.42	534492.30	870939.72

(लाख रुपए Rupees in Lakh)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों
का विवरणGrant No. & and title and
description of itemsराजस्व
Revenueपूँजी
Capitalजोड़
Total

3. पूरक अनुदान की मांगों के इस भाग में ₹350.00 लाख के तकनीकी पूरक अनुदानों/ विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं जो विभागों की संबंधित बचतों से मेल खाते हैं।

मदें इस प्रकार हैं :-

3. This part of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹350.00 Lakh which are matched by corresponding savings of the concerned Departments.

The items are as follows :-

अनुदान की तकनीकी पूरक मांगें

Technical Supplementary Demands For Grants

24 आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग

Hospitality & Protocol Department

(क)सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय की योजना के तहत कार्यों के व्यय (₹350.00 लाख)को पूरा करने के लिए।

(a)For meeting expenditure towards Works (₹350.00 Lakh) under the scheme of Capital Outlay On Public Works.

...

350.00

350.00

कुल तकनीकी

Total Technical

0.00

350.00

350.00

कुल जोड़

Grand Total

336447.42

534842.30

871289.72

निवल नकद अदायगी

Net Cash Outgo

336447.42

534492.30

870939.72

तकनीकी पूरक

Technical
Supplementary

0.00

350.00

350.00

विषय सूची

CONTENTS

(लाख रुपए Rupees in Lakh)

मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
06 बिजली विकास विभाग	06	Power Development Department	V	277522.97	...	277522.97	1
08 वित्त विभाग	08	Finance Department	C	...	534492.30	534492.30	2-3
			V	58519.11	...	58519.11	
24 आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	24	Hospitality & Protocol Department	V	...	350.00	350.00	4
36 सहकारिता विभाग	36	Cooperative Department	V	405.34	...	405.34	5
कुल जोड़	Grand Total			336447.42	534842.30	871289.72	
भारित	Charged			0.00	534492.30	534492.30	
स्वीकृत	Voted			336447.42	350.00	336797.42	

माँग संख्या DEMAND NO :06
बिजली विकास विभाग
Power Development Department

		(लाख रु. में)		(Rs in Lakh)			
I.मूल अनुदान	ORIGINAL GRANT	राजस्व	REVENUE	पूंजी	CAPTIAL	जोड़	TOTAL
स्वीकृत	VOTED		438,824.24		196,490.03	635,314.27	
भारित	CHARGED		0.00		0.00	0.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान :							
SUPPLEMENTARY GRANTS NOW REQUIRED							
स्वीकृत	VOTED		277,522.97		0.00	277,522.97	
भारित	CHARGED		0.00		0.00	0.00	
जोड़ (मूल और पूरक)							
TOTAL (ORIGINAL PLUS SUPPLEMENTARY)			716,347.21		196,490.03	912,837.24	
स्वीकृत	VOTED		716,347.21		196,490.03	912,837.24	
भारित	CHARGED		0.00		0.00	0.00	
इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जाये							
This Supplementary grants will be accounted for under the following major heads							
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD	राजस्व	REVENUE	पूंजी	CAPTIAL	कुल	TOTAL
2801	शक्ति						
	Power						
स्वीकृत	VOTED		277,522.97		0.00	277,522.97	
भारित	CHARGED		0.00		0.00	0.00	

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है :

(i) जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन की योजना के तहत बिजली की खरीद (₹277522.97 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के पूंजीगत अनुभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए व्यय पर (₹277522.97 लाख) का नकद व्यय होगा।

The Supplementary Grants are required for:

(i) For meeting expenditure towards Purchase Of Power (₹277522.97 Lakh) under the scheme of Jammu & Kashmir Power Corporation.

Taking into account the surrender of saving available in the capital section of the grant the above expenditure will entail a cash outgo of (₹277522.97 Lakh)

माँग संख्या DEMAND NO :08

वित्त विभाग

Finance Department

(लाख रु. में)

(Rs in Lakh)

I.मूल अनुदान	ORIGINAL GRANT	राजस्व	REVENUE	पूंजी	CAPTIAL	जोड़	TOTAL
स्वीकृत	VOTED		1,362,083.88		102,165.59	1,464,249.47	
भारित	CHARGED		963,518.00		3,797,838.00	4,761,356.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान :							
SUPPLEMENTARY GRANTS NOW REQUIRED							
स्वीकृत	VOTED		58,519.11		0.00	58,519.11	
भारित	CHARGED		0.00		534,492.30	534,492.30	
जोड़ (मूल और पूरक)							
TOTAL (ORIGINAL PLUS SUPPLEMENTARY)			2,384,120.99		4,434,495.89	6,818,616.88	
स्वीकृत	VOTED		1,420,602.99		102,165.59	1,522,768.58	
भारित	CHARGED		963,518.00		4,332,330.30	5,295,848.30	
इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जाये							
This Supplementary grants will be accounted for under the following major heads							
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD	राजस्व	REVENUE	पूंजी	CAPTIAL	कुल	TOTAL
2030	टिकटें और पंजीकरण						
	Stamps And Registration						
स्वीकृत	VOTED		5.00		0.00	5.00	
भारित	CHARGED		0.00		0.00	0.00	
2039	स्टेट एक्साइज						
	State Excise						
स्वीकृत	VOTED		90.00		0.00	90.00	
भारित	CHARGED		0.00		0.00	0.00	
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर						
	Taxes On Sales, Trade Etc.						
स्वीकृत	VOTED		32.45		0.00	32.45	
भारित	CHARGED		0.00		0.00	0.00	
2043	राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क						
	Collection Charges under State Goods and Services Tax						
स्वीकृत	VOTED		36.96		0.00	36.96	
भारित	CHARGED		0.00		0.00	0.00	
2054	ट्रेजरी और लेखा प्रशासन						
	Treasury And Accounts Administration						
स्वीकृत	VOTED		125.97		0.00	125.97	
भारित	CHARGED		0.00		0.00	0.00	

2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ			
	Pensions And Other Retirement Benefits			
स्वीकृत	VOTED	58,228.73	0.00	58,228.73
भारित	CHARGED	0.00	0.00	0.00
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
	Internal Debt Of The State Government			
स्वीकृत	VOTED	0.00	0.00	0.00
भारित	CHARGED	0.00	534,492.30	534,492.30

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है :

(i)राज्य स्टाम्प विभाग की योजना के तहत रिफंड (₹5.00 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।

(ii)आयुक्त कार्यालय की योजना के तहत वेतन (₹90.00 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।

(iii)बिक्री कर न्यायाधिकरण की योजना के तहत वेतन (₹32.45 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।

(iv)आयुक्त कार्यालय की योजना के तहत मानदेय और पारिश्रमिक (₹0.10 लाख), वेतन (आउटसोर्सिंग) (₹36.86 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।

(v)मुआवजे (₹0.25 लाख), बिजली शुल्क (₹8.50 लाख), मानदेयऔर पारिश्रमिक (₹0.40 लाख), चिकित्सा प्रतिपूर्ति (₹6.00 लाख), कार्यालय उपकरण और उपकरण, (₹3.00 लाख), पोल ₹2.70 लाख), पेशेवर और विशेष सेवा शुल्क (₹4.30 लाख), वाहन की खरीद (₹2.50 लाख), किराया दरें और कर (₹11.95 लाख), वेतन (₹80.47 लाख), टेलीफोन (₹0.25 लाख), प्रशिक्षण (₹1.50 लाख), यात्रा व्यय (₹0.25 लाख)और वेतन (आउटसोर्सिंग)(₹3.90 लाख) कोषागार और लेखा प्रशासन की विभिन्न योजनाओं के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।

(vi)सचिव वित्त की योजना के तहत पेंशनरी लाभ (₹58228.73 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।

(vii)सरकार की आंतरिक ऋण की विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार के आंतरिक ऋण (₹534492.30 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।

उपरोक्त व्यय पर नकद व्यय (₹593011.41 लाख) होगा

The Supplementary Grants are required for:

(i)For meeting expenditure towards Refund (₹5.00 Lakh) under the scheme of State Stamp Department.

(ii)For meeting expenditure towards Salary (₹90.00 Lakh) under the scheme of Commissioners Office.

(iii)For meeting expenditure towards Salary (₹32.45 Lakh) under the scheme of Sales Tax Tribunal.

(iv)For meeting expenditure towards Honorarium and Remuneration (₹0.10 Lakh),Wages(Outsourcing) (₹36.86 Lakh) under the scheme of Commissioner's Office.

(v)For meeting expenditure towards Compensation (₹0.25 Lakh), Electricity Charges (₹8.50 Lakh),Honorarium and Remuneration (₹0.40 Lakh),Medical Reimbursement (₹6.00 Lakh),Office Equipments And Appliances, (₹3.00 Lakh),Pol (₹2.70 Lakh), Professional And Special Service Charges (₹4.30 Lakh), Purchase Of Vehicle (₹2.50 Lakh),Rent Rates And Taxes (₹11.95 Lakh),Salary (₹80.47 Lakh),Telephone (₹0.25 Lakh), Training (₹1.50 Lakh),Travel Expenses (₹0.25 Lakh)and Wages (Outsourcing) and (₹3.90 Lakh) under different schemes of Treasury And Accounts Administration.

(vi)For meeting expenditure towards Pensionery Benefits (₹58228.73 Lakh) under the scheme of SECRETARY FINANCE.

(vii)For meeting expenditure towards Internal Debt of the Govt (₹534492.30 Lakh) under different schemes of Internal Debt of the Govt.

The above expenditure will entail a cash outgo of(₹593011.41 Lakh)

माँग संख्या DEMAND NO :24
आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग
Hospitality & Protocol Department

		(लाख रु. में)		(Rs in Lakh)			
I.मूल अनुदान	ORIGINAL GRANT	राजस्व	REVENUE	पूंजी	CAPTIAL	जोड़	TOTAL
स्वीकृत	VOTED		23,937.08		7,200.00		31,137.08
भारित	CHARGED		0.00		0.00		0.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान :							
SUPPLEMENTARY GRANTS NOW REQUIRED							
स्वीकृत	VOTED		0.00		350.00		350.00
भारित	CHARGED		0.00		0.00		0.00
जोड़ (मूल और पूरक)							
TOTAL (ORIGINAL PLUS SUPPLEMENTARY)			23,937.08		7,550.00		31,487.08
स्वीकृत	VOTED		23,937.08		7,550.00		31,487.08
भारित	CHARGED		0.00		0.00		0.00

इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जाये

This Supplementary grants will be accounted for under the following major heads

मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD	राजस्व	REVENUE	पूंजी	CAPTIAL	कुल	TOTAL
4059	सार्वजनिक निर्माण पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay On Public Works						
स्वीकृत	VOTED		0.00		350.00	350.00	
भारित	CHARGED		0.00		0.00	0.00	

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है :

The Supplementary Grants are required for:

(i)प्रधान आवासीय आयुक्त नई दिल्ली की योजना के तहत कार्यों के लिए (₹350.00 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए ।

(i)For meeting expenditure towards Works (₹350.00 Lakh) under the scheme of Principal Resident Commissioner New Delhi.

अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

Taking into account the Surrender of savings available in the revenue section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

माँग संख्या DEMAND NO :36
सहकारिता विभाग
Cooperative Department

				(लाख रु. में)		(Rs in Lakh)	
I.मूल अनुदान	ORIGINAL GRANT	राजस्व	REVENUE	पूंजी	CAPTIAL	जोड़	TOTAL
स्वीकृत	VOTED		7,119.69		2,500.00	9,619.69	
भारित	CHARGED		0.00		0.00	0.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान :							
SUPPLEMENTARY GRANTS NOW REQUIRED							
स्वीकृत	VOTED		405.34		0.00	405.34	
भारित	CHARGED		0.00		0.00	0.00	
जोड़ (मूल और पूरक)							
TOTAL (ORIGINAL PLUS SUPPLEMENTARY)			7,525.03		2,500.00	10,025.03	
स्वीकृत	VOTED		7,525.03		2,500.00	10,025.03	
भारित	CHARGED		0.00		0.00	0.00	
इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जाये							
This Supplementary grants will be accounted for under the following major heads							
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD	राजस्व	REVENUE	पूंजी	CAPTIAL	कुल	TOTAL
2425	सहयोग						
	Co-operation						
स्वीकृत	VOTED		405.34		0.00	405.34	
भारित	CHARGED		0.00		0.00	0.00	

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है :

The Supplementary Grants are required for:

(i) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सहायता योजना के तहत अनुदान सहायता (₹405.34 लाख) के व्यय को पूरा करने के लिए।

(i)For meeting expenditure towards Grant-In-Aid (₹405.34 Lakh) under the scheme of Assistance to Primary Agriculture Credit Societies.

अनुदान के पूंजीगतअनुभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए व्यय पर (₹405.34 लाख) का नकद व्यय होगा।

Taking into account the surrender of saving available in the capital section of the grant the above expenditure will entail a cash outgo of(₹405.34 Lakh)